वउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.9.22	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। प्रतिवादी सं. 1, 3 व 2 की ओर से जवाब दावा इकबाली पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया था। वादीगण PW1 रमेशलाल, PW2 [illegible], PW3 कन्हैयालाल, PW4 गोपालीबाई, PW5 छोटूलाल के कथन शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। उक्त प्रक्रम पर मैंने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्य शपथ पत्र व जवाबदावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण सुनी गई, बहस में वकील वादीगण ने वाद स्वीकार करते प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। पत्रावली का मेरे द्वारा सम्यक रूप से अवलोकन करने पर पाया, कि पत्रावली में प्रस्तुत जवाब सहमति इकबाली एवं जवाब प्रतिवादीगण इकबाली उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	[illegible] धाट्टूलाल सोजत कन्हैयालाल नि.अ. गोपालीबाई [illegible] [illegible] (सुशीलकुमार [illegible] प्र.[illegible])

–:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::–

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 94 / 2022 तारीख दायरा:–20.7.2022

बउनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 50वर्ष
2. रामदयाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 48वर्ष
3. संजय पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 46वर्ष
4. छोटूलाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 44वर्ष
5. गोपालीबाई पत्नी स्व0 सीताराम जाति माली उम्र 70 वर्ष

निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण–

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 63वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. दीपक नन्दवाना पुत्र बृजमोहन नन्दवाना उम्र 46वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. नगीना पत्नी मोहम्मद नईम उम्र 40वर्ष जाति जुलाहा मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादीगण की ओर से :– श्री रमेश कुमार शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीकम 1ता3 की ओर से :– श्री सुशील कुमार शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीन04 की ओर से :– पैरोकार सरकार।

–:: निर्णय ::– दिनांकः–22-9-2022

संक्षेप मे प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया, कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1ता3 के कब्जे व स्वामित्व की संयुक्त खाते की आराजी माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 की 0.69हेक्टर कुल 1 किता की कुल 0.69हेक्टर एवं माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 919 पुरानी 62 के खसरा

2.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद जिला- कोटा

2076से 2079 अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है।उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजीयो को वादीगण के पिता स्व0 सीताराम द्वारा ही अपने जीवनकाल मे आपसी सहमति से 30वर्ष पूर्व मौके पर विभाजन कर विभाजन अनुसार वादीगण के हिस्से मे कुन्दनपुर रोड से पश्चिमी तरफ की खसरा न0 494 रकबा 0.60हेक्टर आराजी को विभाजन मे प्राप्त कर काश्त करते चले आ रहे है, वादीगण ने खसरा न0 494 मे ट्यूबवेल व मकान निर्माण एवं अपने हिस्से मे से प्रतिवादी कम 2 को खसरा न0 494 मे से 1/52हिस्सा व प्रतिवादीन03 को 93/4000हिस्सा विक्रय कर दिया है, जिनका नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिस पर आज भी वादीगण व प्रतिवादीकम 2व3 काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 30वर्ष पूर्व हुए विभाजन के अनुसार कुन्दनपुर रोड से पूर्वी तरफ की खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 रकबा 0.69हेक्टर का विकास बाउन्ड्रीवाल करवाकर विभाजन अनुसार कब्जे काश्त मे आज दिन तक शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे शामलाती खाते मे दर्ज होने से अपने हिस्से विभाजन मे प्राप्त आराजी का उपयोग उपभोग करने तथा अपनी इच्छा अनुसार विकास कराने मे काफी परेशानियॉ उठानी पडती है, तथा सभी सहखातेदारो की सहमति लेने मे परेशानी होती है, इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह 30वर्ष पूर्व आपसी सहमति से किये गये विभाजन अनुसार वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी का विभाजन, घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती कराये, जिसके लिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील कार्यालय मे चलकर बंटवारा घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती की कहने पर उनके द्वारा एक साथ इकट्ठा होने मे परेशानी व असमर्थता जाहिर करने से वादीगण के लिए माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। तथा वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादीगण द्वारा तहसीलदार महोदय से सहमति अनुसार बंटवारा कराने की कहने पर उनके द्वारा न्यायालय मे वाद पेश करने की कहने से वादीगण के लिए वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के निवासी होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला– कोटा

तथा वादीगण ने निवेदन किया, कि वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद पटवार हल्का सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 919 पुरानी 62 की खसरा न0 494 की 0.60हेक्टर आराजी मे से प्रतिवादीन02 का 1/52हिस्सा व प्रतिवादीन03 का 94/4000हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से को छोडकर शेष खसरा न0 494 की सम्पूर्ण आराजी वादीगण 1ता5 के बंटवारे अनुसार घोषणा की जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जावे। वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद पटवार हल्का सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 की 0.69हेक्टर सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीन01 के विभाजन अनुसार खाते की घोषणा की जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण को सूचना हो चुकी है, बाद सूचना प्रतिवादी न01ता3 ने वाद को स्वीकार कर इकबाली जवाब पेश किया है, तथा प्रतिवादी क्रम 2द्वारा खसरा न0494 मे अपना हिस्सा 1/52 रकबा 0.0115हेक्टर पश्चिमी तरफ उत्तरी सीमा से 120फुट दूर दक्षिणी तरफ स्थित है, को प्रथक खाता किये जाने का निवेदन किया है, तथा जवाब सरकार प्राप्त हो चुका है, वादी पी डब्ल्यू1 रामदयाल द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रदर्श पी 1 वाद पत्र प्रस्तुत करना, तथा वादीगण के हस्ताक्षर वाद पर किया जाना स्वीकार किया है। जमाबन्दी सम्वत 2076से 2079 खाता स0 नई 62 प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श पी 2 है, जमाबन्दी सम्वत 2076से 2079 खाता स0 नई 919 प्रस्तुत की गई है, जो प्रदर्श पी 3 है, जमाबन्दी सम्वत 2076से 2079 खाता स0 नई 62 प्रस्तुत की गई है, जो प्रदर्श पी 4 है, वादी पी डब्ल्यू 2 संजय, वादी पी डब्ल्यू3 कन्हैयालाल, वादी पी डब्ल्यू 4 गोपालीबाई, वादी पी डब्ल्यू 5 छोटूलाल, द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण का जवाब दावा स्वीकार किया है।

उक्त प्रकरण मे मैने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो व साक्ष्य शपथ पत्र व जवाब दावे का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गई, बहस मे वकील वादीगण ने वाद मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद को डिकी किये जाने की प्रार्थना की।पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से मैने पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज ज़वाब सरकार इकबाली जवाब इकबाली

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

प्रतिवादीगण उपलब्ध है, उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्य से यह प्रतीत होता है, कि वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 919 पुरानी 62 के खसरा न0 494 रकबा 0.60हेक्टर आराजी मे से प्रतिवादीन02 दीपक नन्दवाना का 1/52हिस्सा रकबा 0.0115हेक्टर का विभाजन अनुसार प्रथक खाते दर्ज किये ज़ाने की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी कम1 दिनेश कुमार का माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 919 पुरानी 62 के खसरा न0 494 रकबा 0.60हेक्टर मे दर्ज 1/2हिस्सा सम्पूर्ण बंटवारे अनुसार वादीगण 1ता5 के सम्भाग हिस्सा खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, प्रतिवादी कम 3 नगीना के खसरा न0 494 की रकबा 0.60हेक्टर मे 93/4000हिस्से को यथावत रखा जाने की घोषणा की जाती है। तथा घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे।

आराजी माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 की 0.69हेक्टर आराजी मे दर्ज वादीगण कम 1ता5 का 1/2हिस्सा सम्पूर्ण बंटवारे अनुसार प्रतिवादी कम1 दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, घोषणा अनुसार आराजी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 क़ी 0.69हेक्टर आराजी का राजस्व रेकार्ड मे विभाजन अनुसार इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

वाद व्यय वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं वहन करे, नियमानुसार डिकी परचा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद जिला-कोटा

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22-9-2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद जिला-कोटा

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 94 / 2022 तारीख दायरा:–20.7.2022

बउनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 50वर्ष
2. रामदयाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 48वर्ष
3. संजय पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 46वर्ष
4. छोटूलाल पुत्र सीताराम जाति माली उम्र 44वर्ष
5. गोपालीबाई पत्नी स्व0 सीताराम जाति माली उम्र 70 वर्ष

निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादीगण—

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 63वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. दीपक नन्दवाना पुत्र बृजमोहन नन्दवाना उम्र 46वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
3. नगीना पत्नी मोहम्मद नईम उम्र 40वर्ष जाति जुलाहा मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांक:– 22/9/22

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा वादीगण, एवं सुशील कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री ....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:– वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 919 पुरानी 62 के खसरा न0 494 रकबा 0.60हेक्टर आराजी मे से प्रतिवादीन02 दीपक नन्दवाना का 1/52हिस्सा रकबा 0.0115हेक्टर का विभाजन अनुसार प्रथक खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

प्रतिवादी कम1 दिनेश कुमार का माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 919 पुरानी 62 के खसरा न0 494 रकबा 0.60हेक्टर मे दर्ज 1/2हिस्सा सम्पूर्ण बंटवारे

2.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

अनुसार वादीगण 1ता5 के सम्भाग हिस्सा खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, प्रतिवादी कम 3 नगीना के खसरा न0 494 की रकबा 0.60हेक्टर मे 93/4000हिस्से को यथावत रखा जाने की घोषणा की जाती है। तथा घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे।

आराजी माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 की 0.69हेक्टर आराजी मे दर्ज वादीगण कम 1ता5 का 1/2हिस्सा सम्पूर्ण बंटवारे अनुसार प्रतिवादी कम1 दिनेश कुमांर पुत्र मांगीलाल के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है, घोषणा अनुसार आराजी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खाता स0 नई 62 पुरानी 784 के खसरा न0 209 की 0.69हेक्टर आराजी का राजस्व रेकार्ड मे विभाजन अनुसार इन्द्राज दर्ज किया जावे।

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद